प्रारूप–घ

न्यायालयः– श्रीमती साक्षी कपूर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर (मध्य प्रदेश)

Registration NO.	**SCNIA/5598/2022**
Filing NO.	**36826/2022**
C.N.R. NO.	**MP0901-045436-2022**
Filing Date	**27-09-2022**

परिवादी	श्रीमती मीनाबाई पति राजेन्द्र नामदेव, आयु– 51 वर्ष, व्यवसाय– हलवाई, पता– 42/1, रामगंज जिन्सी, सुभाष मार्ग, इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पवन कुमार शर्मा अधिवक्ता।
अभियुक्त	श्रीमती राखी पति सुनील कुमार, आयु– वयस्क, पता– 212, मल्हार पल्टन, गली नंबर 02, एस.बी.आई. एटीएम के पास, इंदौर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विकास धीमान अधिवक्ता।

प्रारूप–ङ.

अपराध की तिथि	22.09.2022
परिवाद पत्र की तिथि	27.09.2022
अपराध विवरण की तिथि	16.05.2024
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	23.07.2024
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	10.02.2026
निर्णय की तिथि	13.02.2026
दण्डादेश (यदि कोई हो तो) की तिथि	13.02.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा करने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	श्रीमती राखी पति सुनील	निरंक	21.12.2023	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	दोषसिद्ध	03 माह का साधारण कारावास एवं 2,28,600/— रूपए प्रतिकर	निरंक

प्रारूप—च

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क—परिवादी साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प.सा.01	मीनाबाई	परिवादी

ख—प्रतिरक्षा साक्षी (यदि कोई हो तो)

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, पंच साक्षी)
प्र.सा.01	सुमन	प्रतिरक्षा साक्षी

परिवादी/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क–परिवाद

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01.	प्रदर्श पी 01/प.सा. 01	प्रश्नगत धनादेश
02.	प्रदर्श पी 02/प.सा. 01	अनादरण मेमो
03.	प्रदर्श पी 03/प.सा. 01	सूचनापत्र
04.	प्रदर्श पी 04/प.सा. 01	पोस्टल रसीद
05.	प्रदर्श पी 05/प.सा. 01	पोस्ट ऑफिस की ट्रेक कंसाइन्मेंट रिपोर्ट

ख–प्रतिरक्षा

स.क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	निरंक	निरंक

//निर्णय//

(आज दिनांक 13.02.2026 को घोषित)

01. अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि, उसने परिवादी को विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए धनादेश क्रमांक 464225 दिनांक 08.08.2022 राशि 1,80,000/– रूपए का बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा 37, शीतलामाता बाजार क्लॉथ मार्केट इंदौर का दिया तथा परिवादी द्वारा उक्त धनादेश भुगतान/समाशोधन हेतु प्रस्तुत किए जाने पर आपके खाते में ''Funds Insufficient'' होने के कारण अनादरित होकर प्राप्त हुआ, जिसकी विधिवत सूचना दिये जाने पर भी आपके द्वारा परिवादी को नियत समयावधि में उक्त धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

02. परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि, परिवादी व अभियुक्त के मध्य पारिवारिक संबंध थे तथा अभियुक्त द्वारा उसके पारिवारिक एवं व्यवसायिक कार्य हेतु परिवादी से राशि 1,80,000/– रूपए नगद ऋण स्वरूप प्राप्त किए गए थे तथा अभियुक्त द्वारा उक्त राशि 3 माह में लौटाने बावत् आश्वस्त किया था। नियत समयावधि उपरांत परिवादी द्वारा अभियुक्त से राशि वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा राशि अदायगी हेतु दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया तथा दो माह पश्चात् पुनः राशि मांगने पर अभियुक्त द्वारा परिवादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा 37, शीतलामाता बाजार क्लॉथ मार्केट इंदौर का चैक क्रमांक 464225 दिनांक 08.08.2022

राशि 1,80,000/– रूपए का इस आश्वासन के साथ प्रदान किया गया कि उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जायेगा। परिवादी द्वारा उक्त चैक भुगतान हेतु उसकी बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक दिनांक 17.08.2022 को ''फण्ड्स इनसफिशिएंट'' की टीप के साथ अनादरित होकर प्राप्त हुआ, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 03.09.2022 को अभियुक्त को मांग सूचना पत्र प्रेषित कर भुगतान की अपेक्षा की गई किन्तु सूचना पत्र प्राप्ति के 15 दिन उपरांत भी अभियुक्त द्वारा धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया। तदानुसार परिवादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि, अभियुक्त से चैक राशि की दुगुनी राशि दिलवाई जावे एवं अभियुक्त को कठोर दण्ड दिया जाए।

03. अभियुक्त के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–01 में वर्णित अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने आरोपित अपराध किया जाना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में अभियुक्त ने कथन किया कि, ''वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है, उसने वर्ष 2018 में परिवादी से 20,000/– रूपए ब्याज पर उधार लिये थे, जिसकी सुरक्षा बतौर प्र0पी0–01 का धनादेश परिवादी को दिया था तथा उसके द्वारा अगस्त 2018 में नीतू यादव के समक्ष परिवादी के घर जाकर राशि 20,000/– रूपए ब्याज सहित वापस कर दिये थे, परिवादी द्वारा अवैध वसूली हेतु असत्य परिवाद प्रस्तुत किया है''। प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा साक्षी के रूप में सुमन की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

04. पूर्वाधिकारी द्वारा विरचित आरोप के आलोक में प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैं :–

01. क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए धनादेश कमांक 464225 दिनांक 08.08.2022 राशि 1,80,000/– रूपए का बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा 37, शीतलामाता बाजार क्लॉथ मार्केट इंदौर का प्रदान किया ?

02. क्या उक्त चैक अभियुक्त के खाते में ''Funds Insufficient'' होने के कारण अनादृत हुआ ?

03. क्या परिवादी द्वारा विहित अवधि के अंदर अभियुक्त से अनादरित चैक राशि 1,80,000/– रूपये, की मांग की गई ?

04. क्या अभियुक्त द्वारा ऐसी मांग सूचना प्राप्ति के उपरांत विहित समयावधि के अंदर परिवादी को अनादरित चैक की

राशि 1,80,000 / – रूपए अदा नहीं की गई ?

05. अपराध, यदि कोई प्रमाणित हुआ हो, एवं दण्डादेश ?

<u>(सकारण विवेचना सहित निष्कर्ष)</u>
<u>विचारणीय प्रश्न कमांक–01 लगायत 05</u>

05. साक्ष्य विवेचन में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य में पुनरावृत्ति रोकने हेतु उक्त विचारणीय बिन्दुओं का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

06. विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) ने धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत उसके शपथ पत्र में व्यक्त किया है कि, वह एवं अभियुक्त पूर्व से परिचित होकर उनके मध्य पारिवारिक संबंध है तथा अभियुक्त को उसके पारिवारिक कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से अभियुक्त द्वारा उससे 1,80,000 / – रूपए ऋण की मांग की, जिस पर उसके द्वारा अभियुक्त को 1,80,000 / – रूपए की राशि नगद ऋण स्वरूप प्रदान की गई एवं अभियुक्त द्वारा तीन माह में राशि लौटाने का आश्वासन दिया। उक्त साक्षी का कथन है कि, नियत समयावधि उपरांत उसके द्वारा अभियुक्त से राशि की मांग करने पर अभियुक्त द्वारा उससे दो माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का निवेदन किया तथा दो माह उपरांत पुनः उसके द्वारा अभियुक्त से राशि वापस मांगने पर अभियुक्त द्वारा उसे भारतीय स्टेट बैंक शाखा 37, शीतलामाता बजार, क्लॉथ मार्केट शाखा इंदौर का चैक क्रमांक 464225 दिनांक 08.08.2022 राशि 1,80,000 / – रूपए का हस्ताक्षर कर इस आश्वासन के साथ प्रदान किया कि उक्त चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान प्राप्त हो जायेगा, उक्त चैक प्र0पी0–01 है, जिसके ए से ए भाग पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है।

07. परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) ने यह भी व्यक्त किया हैं कि, उसके द्वारा प्रश्नगत धनादेश प्र0पी0–01 की राशि के भुगतान हेतु धनादेश उसकी बैंक में प्रस्तुत किया, जहां से उक्त धनादेश ''Funds Insufficient'' की टीप के साथ लौटा दिया गया, जिसका रिटर्न मेमो प्र0पी0–02 है। उक्त साक्षी का कथन है कि, चैक अनादरण होने के कारण उसके द्वारा अभियुक्त को दिनांक 03.09.2022 को उसके अभिभाषक के माध्यम से सूचना पत्र प्र0पी0–03 पंजीकृत डाक से प्रेषित किया था, जिसकी पोस्टल रसीद प्र0पी0–04 तथा पोस्ट ऑफिस की ट्रेक कन्साइन्मेंट रिपोर्ट प्र0पी0–05 है। उक्त साक्षी का कथन है कि, सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

08. प्रतिरक्षा साक्षी सुमन (प्र.सा.1) ने उसके न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह, परिवादी एवं अभियुक्त को एक ही मोहल्ले में निवासरत होने के कारण जानती है। उक्त साक्षी का कथन है कि, अभियुक्त द्वारा वर्ष 2018 में परिवादी मीनाबाई से 10 प्रतिशत ब्याज दर पर 20,000 / – रूपए साड़ी के व्यापार के लिए उधार प्राप्त

किए थे तथा अभियुक्त द्वारा जुलाई–अगस्त 2018 में उसकी, नीतू यादव एवं साधना की उपस्थिति में परिवादी के घर जाकर ब्याज सहित राशि अदा कर दी थी।

09. परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) के अभियुक्त द्वारा उसके पक्ष में धनादेश जारी करने और धनादेश बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त राशि के ज्ञापन सहित अनादरित कर लौटा दिए जाने संबंधी कथनों की सम्पुष्टि धनादेश प्र0पी0–01 एवं ज्ञापन प्र0पी0–02 की अन्तर्वस्तु से होती है।

10. परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) के धनादेश प्र0पी0–01, बैंक के ज्ञापन प्र0पी0–02 के साथ अनादरित होकर प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा अभियुक्त को मांग सूचना पत्र भेजे जाने संबंधी कथनों की सम्पुष्टि सूचना पत्र प्र0पी0–03 तथा पोस्टल रसीद प्र0पी0–04 एवं ट्रेक कंसाइन्मेंट रिपोर्ट प्र0पी0–05 के दस्तावेज की अंतर्वस्तु से होती है।

11. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से सर्वप्रथम तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि, परिवादी की साक्ष्य से उसकी सक्षमता स्थापित नहीं होती है तथा यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि, परिवादी 1,80,000 / – रूपये की राशि देने के लिए सक्षम है। अभियुक्त द्वारा उक्त तर्क के आलोक में न्यायदृष्टांत **दरबार सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य एवं अन्य 2009 सी.एल.आर. (म.प्र.) 692 एवं न्यायदृष्टांत कृष्ण भट्ट विरुद्ध दत्तारे जी.हेगड़े 2008 (1) एन.आई.जे.210 (एस.सी.)** प्रस्तुत किये हैं। उक्त तर्क के संदर्भ में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि, परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथ पत्र में यह व्यक्त किया कि, उसने अभियुक्त को 1,80,000 / – रूपये की राशि नगद अदा की जिसके पश्चात अभियुक्त द्वारा उक्त राशि की अदायगी पेटे उसके पक्ष में धनादेश जारी किया गया। यद्यपि परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) ने उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका–10 में यह व्यक्त किया है कि वह आयकर नहीं समझती है, किंतु उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका 9 में यह व्यक्त किया है कि वह पिछले 40 वर्ष से हलवाई का कार्य कर रही है तथा वह शादी में भी खाना बनाने का कार्य करती है तथा जो राशि वह अर्जित करती है उसे बैंक और घर में नगद के रूप में रखती है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि, प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा परिवादी की आर्थिक सक्षमता के संदर्भ में मात्र सुझाव दिये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में जब परिवादी की आर्थिक सक्षमता को चुनौती दी जाती है तब परिवादी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उसकी आर्थिक सक्षमता को प्रमाणित करे, जिसके संबंध में **न्यायदृष्टांत Sunita v. Sheela Antony, 2020 SCC Online Ker 1750** में यह अभिकथित किया गया है कि –:

The complainant has no obligation, in all cases under section 138 of the Act, to prove his financial capacity. But, when the case of the complainant is that he lent money to the accused by cash and that the accused issued the cheque in discharge of the liability, and if the accused challanges the financial capacity of the complainant to advance the money, despite the presumtion under section 139 of the act, the complainant has the obligation to prove his financial

capacity or the source of the money allegedly lent by him to the accused. The complainant has no initial burden to prove his financial capacity or the source of the money. The obligation in that regard would arise only when his capacity or capability to advance the money is challenged by the accused.

Therefore, the settled law is that in cases in which the underlying debt transaction is a cash transaction, the accused can raise a probable defence by questioning the financial capacity of the complainant as well as the sources of funds to lend the loan, and once the said question is raised, the onus shifts on the complainant to prove his financial capacity.

12. इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **SANJABIJ TARI VERSUS KISHORE S. BORCAR & ANR. CRIMINAL APPEAL NO. 1755 OF 2010** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **It is pertinent to mention that in the present case, the Respondent No.1 Accused has filed no documents and/or examined any independent witness or led any evidence with regard to the financial incapacity of the Appellant/Complainant to advance the loans in question. For instance, this Court in Rajaram S/o Sriramulu Naidu (Since Deceased) Through LRs. vs. Maruthachalam (Since Deceased) Through LRs., (2023) 16 SCC 125 has held that presumptions under Sections 118 and 139 of the NI Act can be rebutted by the accused examining the Income Tax Officer and bank officials of the complainant/drawee.**

13. उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में जबकि अभियुक्त द्वारा परिवादी के पक्ष में उपलब्ध उपधारणा को खण्डित करने हेतु मात्र सुझाव इस आशय के प्रस्तुत किए हैं कि परिवादी 1,80,000/– रूपए की राशि ऋण स्वरूप प्रदान करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। अतः मात्र उक्त सुझाव के आधार पर उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि, परिवादी की आय के दस्तावेज के अभाव में अभियुक्त दोषमुक्ति का पात्र हैं।

14. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि, परिवादी साहूकारी का लायसेंस लिये बिना नगद राशि देने और उस पर ब्याज वसूलने का कार्य करती हैं तथा उसके द्वारा अभियुक्त पक्ष से रिक्त चैक प्राप्त कर उसका मिथ्या अभियोजन किया गया है। उक्त तर्क के आलोक में परिवादी मीनाबाई (प.सा.1) ने उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका–12 में यह कथन किया है कि वह उसके रिश्तेदार और जान पहचान के लोगों को उधार मांगने पर पैसा उधार देती है तथा उसने अभियुक्त के अतिरिक्त भीम यादव को पैसे उधार दिये हैं जिसके संदर्भ में प्रकरण अन्य न्यायालय में लंबित है। किन्तु उक्त कथन के आलोक में प्रतिरक्षा पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है

क्योंकि मात्र कुछ व्यक्तियों को उधार राशि प्रदान करने से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि, परिवादी द्वारा साहूकारी का व्यवसाय किया जा रहा है। साहूकारी का व्यवसाय स्थापित करने हेतु परिवादी द्वारा निरंतर कई व्यक्तियों को विभिन्न समयावधि में राशि उधार देना और उस पर ब्याज वसूलने का कृत्य प्रमाणित करना आवश्यक है, मात्र सुझाव देने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं पाया जाता हैं कि, परिवादी साहूकारी का व्यवसाय करती है।

15. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया हैं कि, परिवादी ने अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया और ना ही यह व्यक्त किया है कि परिवादी ने किस दिनांक, किस स्थान, किस समय तथा किसके समक्ष उधार राशि दी, जिससे यह दर्शित हो कि, परिवादी ने अभियुक्त को 1,80,000/– रूपए की राशि उधार स्वरूप प्रदान की थी, जिसके भुगतान हेतु अभियुक्त ने परिवादी के पक्ष में प्र0पी0–01 का धनादेश जारी किया था। उक्त तर्क के आलोक में परिवादी सुशीलाबाई (प.सा.1) ने उसके मुख्य परीक्षण के शपथपत्र में व्यक्त किया है कि, उसके एवं अभियुक्त के मध्य आपसी संबंध होने से अभियुक्त द्वारा उसकी निजी आवश्यकता हेतु 1,80,000/– रूपए की राशि उधार प्राप्त की थी, जिसकी अदायगी हेतु अभियुक्त ने उसे प्र0पी0–01 का प्रश्नगत धनादेश प्रदान किया था तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका–14 में यह व्यक्त किया है कि उसने उधार राशि देने के संबंध में उसका बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 में यह भी स्वीकार किया है कि जो वह राशि देना बता रही है वह राशि किस दिनांक को, किस स्थान, किस समय व किसके समक्ष उधार दी गयी, इस बात का उल्लेख मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र व सूचना पत्र में नहीं किया है। किंतु प्रतिरक्षा पक्ष के उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि परिवाद में क्या लिखा जाएगा इस संबंध में कोई निश्चित मापदंड नहीं है तथा मात्र उक्त तथ्य परिवाद में उल्लेखित न करने से अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, उक्त संदर्भ में **न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1995 एस0सी0 1216 रमेश बजाज विरुद्ध एनसीटी** में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है।

16. अभियुक्त पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि 20,000/– रूपए की राशि का लेनदेन चैक के माध्यम से किया जाना चाहिये किंतु परिवादी द्वारा 1,80,000/– रूपए नगद राशि अभियुक्त को प्रदान की गई, जो कि विधिक लेनदेन की श्रेणी में नहीं आता है। यद्यपि यह विधि है कि, आयकर अधिनियम के अंतर्गत 20,000/– रूपए से अधिक राशी का लेनदेन नगद संव्यवहार में नहीं होना चाहिये परंतु परिवादी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरदायी हो सकता है, उक्त संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंसपेक्शन विरुद्ध ए.पी. शांति (2002)6 एससीसी 259** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि, 20,000/– रूपए से अधिक की राशि का लोन नगद दिया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत लोन को अवैध घोषित किया जा सकता है? नहीं, इनकम टैक्स एक्ट में अधिक राशि नगद देने के संबंध में पेनल्टी निर्धारित है, इस आधार पर धारा 138 एनआईं एक्ट का मामला समाप्त नहीं किया जा सकता।'' इसके अतिरिक्त माननीय

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत संजाबिज तारी विरुद्ध किशोर एस बोरकार एवं अन्य क्रिमिनल अपील क्रमांक 1751/2010** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि "Any violation of Section 269SS of Income Tax Act, 1961 would not render trasaction unenforceable under Section 138 of NI Act." अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के आलोक में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तर्क निरस्त किया जाता है।

17. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में पेश किया गया हैं कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को सिक्योरिटी पेटे चैक प्रदान किया था तथा परिवादी द्वारा सिक्योरिटी बतौर प्रदत्त चैक का दुरुपयोग कर अभियुक्त का मिथ्या अभियोजन किया गया है। उक्त संदर्भ में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा परिवादी के प्रतिपरीक्षण की कंडिका– 16 में मात्र इस आशय के सुझाव दिये हैं कि वर्ष 2018 में जब अभियुक्त द्वारा परिवादी से 20,000/– रुपये की राशि उधार प्राप्त की गयी थी तब परिवादी ने प्रश्नगत चेक सिक्योरिटी बतौर प्रदान किया था। प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से उक्त तर्क के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **न्यायदृष्टांत कृष्णा जनार्दन भट्‌ट विरूद्ध दत्तारे जी. हेगड़े ए.आई.आर. 2008 एस.सी. 1325** का अवलंबन लिया है तथा व्यक्त किया है कि, परिवादी को उसका प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा अभियुक्त को केवल मामले में संदेह को स्थापित करना ही पर्याप्त हैं। किंतु अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सुझाव के माध्यम से तथा परिवादी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह दर्शित हो कि उभयपक्ष के मध्य व्यावसायिक संबंध के दौरान सिक्योरिटी बतौर प्रश्नगत धनादेश प्रदान किया गया हो, अतः अभियुक्त को उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ प्रदान नहीं होता है। उक्त तर्क के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **न्यायदृष्टांत एम.एस. नारायण मेनन विरुद्ध स्टेट ऑफ केरला, 2006 सी.एल.डी.सी. (2) पेज नंबर 49 (एस.सी.)** अवलोकनीय हैं जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि, "After examining the evidence, the Supreme Court found that the appellant had successfully rebutted the presumption. The cheque was issued as an advance for a transaction that did not materialize, and thus, the complainant failed to prove the existence of legally enforceable debt at the the time cheque was issued."

18. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया हैं कि, अभियुक्त द्वारा परिवादी को रिक्त धनादेश प्रदान किया था जिसका दुरुपयोग कर परिवादी ने अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या प्रकरण प्रस्तुत किया है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया है। उक्त तर्क के आलोक में यह उल्लेखनीय है कि कोई भी विधि यह उपबंधित नहीं करती है कि किसी परक्राम्य लिखत के मामले में उसका पूरा अंग रचयिता या लेखवाल द्वारा लिखा जायेगा। उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत ए.आई.आर. 2019 सुप्रीम कोर्ट 2446 बिरसिंह विरुद्ध मुकेश कुमार एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत जयप्रकाश गुप्ता विरुद्ध मै. लक्ष्मी इलेक्ट्रीकल्स एमसीआरसी क्रमांक 10774/2016**

अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि, यदि परिवादी यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहता है कि, प्रश्नगत चैक विधिक दायित्व के निर्वहन के लिये जारी किया गया तब चैक रिक्त ही क्यों न जारी किया गया तब भी अभियुक्त उक्त चैक में वर्णित राशि के लिए उत्तरदायी होगा जब तक कि अभियुक्त यह प्रमाणित न कर दे कि चैक विधिक दायित्व के निर्वहन के अधीन जारी नहीं किया गया। अतः प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

19. उक्त संदर्भ में **परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 20** अवलोकनीय है, जो यह प्रावधानित करती है कि,

''जहां एक व्यक्ति परक्राम्य लिखत संबंधी तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार, स्टाम्पित और या तो पूर्णतः निरंक या उस पर अपूरित पराक्राम्य लिखित लिखकर कोई कागज हस्ताक्षरित करता है या किसी दूसरे को प्रदत्त कर देता है, जहां वहा उसके धारक को तद्द्वारा यह प्रथम दृष्टया प्राधिकार देता है कि वह किसी रकम के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट हो और उस रकम से अधिक न हो, जिसके लिए वह स्टाम्प पर्याप्त है, पराक्राम्य लिखत उस पर यथास्थित रचने या पूर्ण कर ले। ऐसे हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपनी उसी हैसियत में, जिसमें उसने उस पर हस्ताक्षर किया, किसी भी सम्यक् अनुक्रम धारक के प्रति ऐसी लिखत पर दायी होगा।''

20. उक्त प्रावधान के आलोक में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 सम्यक् अनुक्रम धारक को अधिकार देती है कि, वह उसे पूरा कर ले। यह अधिकार अन्य प्रावधानों में की गई उपधारणा से अलग है, जिन्हें खंडित किया जा सकता है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 केवल एक ही रूप में अधिकार को सीमित करती है, वह है कि, पूर्ण की गई राशि दायित्व व स्टाम्प से अधिक न हो। अतः परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 20 के अनुसार जब अभियुक्त द्वारा अपूर्ण चैक दिया गया हो तब उसने परिवादी को यह अधिकार दिया कि, वह चैक को पूर्ण कर ले। उक्त अधिकार के संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत Sunita Dubey v. Hukum Singh Ahirwar, ILR 2016 MP 566** एवं **माननीय महाराष्ट्र उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत Purushottam v. Manohar K. Deshmukh (2007) 4 AIR Bom R (DOC 43) 10 at Page 217** अवलोकनीय है। कोरा या अपूर्ण चैक प्रदान किए जाने के दायित्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत Bir Singh vs Mukesh Kumar 2019 4 S.C.C. 197** अवलोकनीय है।

21. अतः उपरोक्त प्रावधान एवं उपरोक्त वर्णित न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में प्रतिरक्षा पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि अभियुक्त द्वारा रिक्त धनादेश परिवादी के पक्ष में दिये जाने पर परिवादी द्वारा उक्त रिक्त धनादेश का दुरुपयोग कर मिथ्या प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

22. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है कि, परिवादी द्वारा अभिलेख पर ट्रेक कंसाइनमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य

अधिनियम का प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिस कारण उक्त दस्तावेज विचार में नहीं लिया जा सकता तथा सूचना पत्र का निर्वहन प्रमाणित न होने के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया है। उक्त तर्क के आलोक में **न्यायदृष्टांत सी.सी. अलवी हाजी विरूद्ध पाला पेटी मोहम्मद एवं अन्य 2008 (3) एम.पी.एस.टी. एस.सी.** में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अभियुक्त के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के पश्चात धनादेश की राशि अदा करे जिसके उपरांत वह सूचनापत्र के संदर्भ में समस्त आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जबकि अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने के पश्चात् राशि अदा नहीं की गई ऐसे में परिवादी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि, वह मांग सूचना पत्र प्राप्ति अभियुक्त को होना प्रमाणित करे। जबकि अभियुक्त द्वारा न्यायालय द्वारा जारी समंस की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चैक राशि अदा नहीं की गई है इस कारण प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से सूचनापत्र के संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति निरस्त की जाती है।

23. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से अन्य तर्क प्रस्तुत कर व्यक्त किया हैं कि, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत निम्न तत्व को प्रमाणित करने का भार परिवादी पर हैं तथा अभियुक्त पक्ष को मात्र संदेह उत्पन्न करना होता है जिसके संदर्भ में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा न्यायदृष्टांत **बृजगोपालसिंह विरुद्ध गिरीश राय सेन 2014(1) डी.सी.आर. 539 म.प्र.** प्रस्तुत किया है तथा यह व्यक्त किया है कि परिवादी साक्ष्य के अवलोकन से दो व्यू दर्शित होते हैं जिस कारण शंका का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए, किंतु उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से परिवादी साक्ष्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पायी गयी है कि अभियुक्त द्वारा विधिक दायित्व के निर्वहन में प्रश्नगत धनादेश जारी किया था जिस कारण परिवादी प्रश्नगत धनादेश का सम्यक् धारक होना प्रमाणित होता है तथा अभियुक्त पक्ष उसके विरुद्ध उपलब्ध उपधारणा को खण्डित करने में असफल रहा है। अतः उपरोक्त विवेचना उपरांत परिवादी उक्त धनादेश का परक्राम्य लिखत अधिनिम, 1881 की धारा 9 एवं धारा 118 (छ) के प्रयोजन मात्र सम्यक् अनुक्रम धारक होना प्रमाणित है, प्रश्नगत चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर प्रमाणित हैं। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत टी. नगप्पा विरुद्ध वाय.आर. मुरलीधर (2008) 5, एस.सी.सी. 633** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अभियुक्त द्वारा दी गई प्रतिरक्षा मान्य किए जाने योग्य नहीं है तथा उपरोक्त विवेचना अनुसार यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि, अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु धनादेश प्रदान किया गया था।

24. बैंक के अनादरण मेमो प्र0पी0–02 से स्पष्ट है कि, प्रश्नगत धनादेश अभियुक्त के खाते में ''**Funds Insufficient**'' के कारण अनादृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को विवादित नहीं किया गया कि, प्रश्नगत चैक प्र0पी0–01 उसके खाते का नहीं है। अतः चुनौतीविहीन साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि, चैक ''**Funds Insufficient**'' के कारण अनादरण हुआ हैं।

25. अतः विचारणीय प्रश्न के संबंध में परिवादी साक्ष्य इस संबंध में युक्तियुक्त संदेह से परे विश्वसनीय प्रतीत होती है कि, अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधिक दायित्व के विधिपूर्ण निर्वहन में प्र0पी0–01 का धनादेश जारी कर सौंपा गया था, जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा प्र0पी0–02 के ज्ञापन के साथ अनादरित कर लौटाया गया जिसकी मांग सूचना प्र0पी0–03 के माध्यम से प्रेषित करने पर सूचना पत्र प्राप्ति के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

26. अतः विभिन्न चरणों में की गई उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर प्रस्तुत परिवादी साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि, अभियुक्त ने विधिक दायित्व के विधिपूर्ण निर्वहन में परिवादी के पक्ष में धनादेश क्रमांक 464225 दिनांक 08.08.2022 राशि 1,80,000 / – रूपए का बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा क्लॉथ मार्केट 37, शीतलामाता बाजार का जारी किया एवं उक्त धनादेश संबंधित बैंक द्वारा ''**Funds Insufficient**'' के कारण अनादरित किया गया एवं अभियुक्त द्वारा मांग सूचना पत्र प्राप्ति से विहित अवधि में परिवादी को धनादेश की राशि का भुगतान नहीं किया गया।

27. परिवादी पक्ष, अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है।

28. दण्ड के प्रश्न पर एवं प्रतिकर के संबंध में विचार किया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति गंभीरता को दृष्टिगत् रखते हुए एवं ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभियुक्त को आपराधिक परिविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

29. फलतः अभियुक्त राखी पति सुनील कुमार, को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

30. अभियुक्त के प्रतिभूति बंधपत्र एवं व्यक्तिगत बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

31. धारा 357 (3) द.प्र.सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित **न्यायदृष्टांत आर0 विजयन विरूद्ध बेबी (2012) 1 एस.सी. सी. 207** में जारी प्रतिकर प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा निर्देशों के अनुसार अभियुक्त पर चैक राशि 1,80,000 / – रूपये सहित उक्त राशि पर 09 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज 16,200 / – रूपये प्रतिवर्ष सहित कुल 2,28,600 / – रूपये प्रतिकर अधिरोपित किया जाता हैं। अभियुक्त के द्वारा प्रदत्त प्रतिकर राशि रूपये 2,28,600 / – विधिवत् न्यायालय में अधिकोषित कराए जाये। अधिकोषित राशि रूपये 2,28,600 / –

अपील न होने की दशा में दो माह पश्चात परिवादी श्रीमती मीनाबाई पति राजेन्द्र नामदेव, व्यवसाय– हलवाई, पता– 42 / 1, रामगंज जिन्सी, सुभाष मार्ग, इंदौर म.प्र. को प्रदान की जाए।

32. अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में उसे एक माह का कठोर कारावास भुगताया जाए।

33. अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रही है। अतः धारा 428 द.प्र.सं के प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही हेतु निरंक अवधि का प्रमाण पत्र तैयार किया जाए।

34. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई संपत्ति जप्त नहीं है।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
न्यायालय में घोषित, दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित किया गया।

सही / –
(श्रीमती साक्षी कपूर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)

सही / –
(श्रीमती साक्षी कपूर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
इंदौर (म0प्र0)